

4322

24-3/12/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 523 दिनांक 30.08.2022 द्वारा श्री धर्मदेव राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03872) के विरुद्ध असत्य एवं भ्रामक जानकारी देने, कार्यालय के विरुद्ध षड्यंत्र रचने आदि का आरोप प्रतिवेदित करते हुए कार्य मुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी। प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 2842 दिनांक 13.10.2022 द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण समर्पित की मांग की गयी है।

श्री राम द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समय पर समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में यह तथ्य अंकित किया गया है कि उन्हें वेबजह कार्य करने में परेशानी पैदा की जाती है, अतः इनके तथ्य को स्वीकारते हुए एक अवसर देने के उद्देश्य से इन्हें कार्य मुक्त नहीं करते हुए इनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने के दृष्टिगत 03 माह के मानदेय की कटौती की सजा दी जाती है।

साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि इनके द्वारा भविष्य में यदि अपने कार्य प्रगति में सुधार नहीं लाया जाता है, तो इनका संविदा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया-24/2022...4322 पटना दिनांक 31/12/2022  
प्रतिलिपि :- श्री धर्मदेव राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03872), बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया-24/2022...4322 पटना दिनांक 31/12/2022  
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप) अररिया-24/2022...4322 पटना दिनांक 31/12/2022  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण